न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :–15/2023

1. तेजपाल पुत्र प्रेमकुमार जाति कुम्हार निवासी बींझबायला निवासी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–30.01.23

यह वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के पिता के नाम चक 29 केजेडी तहसील खाजूवाला का मु0नं0 186/26 में कुल 25.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि आवंटन शुदा जो प्रार्थी व सभागीदारों के कब्जा उक्त वर्णित रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम प्रेमचंद दर्ज है जबकि तमाम आई डी प्रूफ में प्रेमकुमार है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थी के पिता के चार जायज वारिस 1 माया पत्नी 2 मुकेश पुत्र 3 पवन पुत्र 4 तेजपाल पुत्र है। जिसका प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में वारिसान इंतकाल दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही कर वारिसान इंतकाल दर्ज करने के प्रदान करें।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र के पक्ष में दस्तावेज शपथपत्र व नोटेरी स्टाम्प का वारिसनामा प्रेमकुमार पुत्र पूर्णराम का ,वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्र.श्रे. पशु चिकित्सालय बींझबायला (श्रीगंगानगर) व ग्रामपंचायत बींझबायला तस्दीक प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, मृत्युप्रमाणपत्र, परिचयपत्र, राशनकार्ड, उपतहसील बींझबायला वारिसान तस्दीक पेश किये। उक्त दस्तावेजों में प्रेमकुमार व प्रेमचन्द एक ही व्यक्ति अंकित किये है तथा आई डी प्रूफ में प्रेमकुमार अंकित है। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट में भी पटवारी ने रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि प्रेमकुमार व प्रेमचन्द एक ही व्यक्ति है। बहस सुनी गई।

वादी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र व प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष है कि चक 29 केजेडी मु0नं0 186/26 में कुल 25.00 बीघाा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता का नाम प्रेमचंद के स्थान पर प्रेमकुमार उर्फ प्रेमचंद किया जाना न्यायसंगत है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायहित धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 29 केजेडी मु0नं0 186/26 में कुल 25.00 बीघाा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता का नाम प्रेमचंद के स्थान पर प्रेमकुमार उर्फ प्रेमचंद किया नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)